



पत्रांक. ३८३

सेवा में,

श्री/श्रीमती/मेसर्स. द्वितीय नाम अन्यावाला ६/०। विष्वनाथ महाराज
गोरखपुर स्वीकृत

सेक्टर ३

दिनांक २५/५/१९

आपके पत्र विनांक ४-१-१७ मानवित्र सं १२/१७ के संदर्भ में आपके प्रस्तावित गोरखपुर भवन निर्माण को मोहल्ला/कालोनी दुलाहा पुर्दा भूखण्ड/भवन सं ९३२, ९३३ पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानवित्र संलग्न है।

1. यह मानवित्र अनुमति दिनांक से केवल ५ वर्ष तक वैध है।
2. मानवित्र की इस स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकृत प्रभावन नहीं होगा।
3. जिस प्रयोजना के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है, भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उत्तर नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की घारा 26 के अधीन वर्णनीय है।
4. उत्तर नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की घारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो विना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपयुक्त नहीं होगा वहाँ प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय का विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।
6. स्वीकृत मानवित्र का एक सेट निर्माण स्थल पर ही रेखना होगा ताकि भौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानवित्र के अनुसार ही कराया जायेगा।
7. आप भवन निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व प्राधिकरण को कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
8. निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानवित्र के विरुद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्ण अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
9. पर्यावरण की दृष्टि से उत्तर राज्य वन नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम ५% प्रान्ति... ऐह लगाना अनिवार्य है। स्वीकृत वित्र इसके साथ संलग्न है। भवन समाप्त होने के एक माह के अन्दर संलग्न स्थल में कार्य पूरा होने के प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा विना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में न लायें।
10. प्राधिकरण से अव्यासन (आकूपैन्सी) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (आकूपायी) करेंगे। इसमें किसी भी शर्त का उल्लंघन उत्तर नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की घारा 26 के अधीन वर्णनीय अपराध होगा।
11. दरवाजे वा खिड़कियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी सड़क की ओर बढ़ाव (प्रोजेक्ट) न हो।
12. विज्ञी की लाइन से ५ फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
13. सड़क, सर्विसलेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटेरियल) न रखी जायेगी तथा गन्दे पानी का निकासी पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
14. यह मानवित्र उत्तर नगर योजना एवं अधिनियम 1973 की घारा 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त (कन्डीशन) के साथ स्वीकृत किये जाते हैं तो, यह शर्त भी मान्य होगी।
15. सड़क पर अथवा बैकलेन में कोई रेष्य अथवा स्टेप्स नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
16. सुरक्षाविज्ञन एवं स्पेसिफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
17. पश्च द्वारा प्रत्युत शपथ पत्र २३-३-१९..... का पालन करना होगा।

संलग्न : स्वीकृत मानवित्र की एक प्रति।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण

गोरखपुर

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA